न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 78/2024

वाद पत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

1. सुखमनजोत सिंह पुत्र तरसेम सिंह पुत्र सुखदेव कौर जाति जटसिख साकिन हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. छपीन्द्र कौर पत्नी तरसेम सिंह पुत्र सुखदेव कौर जाति जटसिख साकिन हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

———वादीगण

बनाम

1. सुखदेव कौर पत्नी जगसीर सिंह जाति जटसिख साकिन हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. तरसेम सिंह पुत्र जगसीर सिंह जाति जटसिख साकिन हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. परमजीत कौर पत्नी गमदूर सिंह पुत्र सुखदेव कौर जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. जसविन्द्र कौर पत्नी बोहड़सिंह पुत्री सुखदेव कौर जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

———प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री नवरतन स्वामी –वकील वादीगण
2. श्री ओमप्रकाश शर्मा–वकील प्रति.सं.1ता4

वाद बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– [illegible]

वादीगण सुखमनजोत सिंह वगैरा ने प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 05.03.2024 को इस न्यायालय में पेश किया। वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपना रजिस्टर्ड पता वाद पत्र के शीर्षक मे [illegible] प्रावधानों के अनुसार पेश कर अंकित किया है। वादी नं. 1 की दादी व वादीया [illegible] सास प्रतिवादीया सं. 1 चक नं. 2 एस.टी.पी. खाता सं. [illegible] है। चक नं. 4 एच.आर.पी. खाता सं. 162/111 में कुल खाता 6804/1[illegible] हिस्सा की विरासतन खातेदार काश्तकार है। वादी सं. 1 प्रतिवादी सं. 1 का पौत्र है तथा वादीया सं. 2 प्रतिवादी सं. 1 की पुत्रवधु है। प्रतिवादीया सं. 1 काफी वृद्ध हो चुकी है, अब वह

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:30:44 IST
Reason: SelfAttested

सहा[illegible]टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

स्वयं उपस्थित होकर न तो कृषि कार्य कर सकती है तथा ना ही उक्त कृषि भूमि बाबत राजस्व तहसील में उपस्थित आकर लगान व कृषि भूमि संबंधित अन्य कार्य करने में समर्थ है इस कारण प्रतिवादीया सं. 1 ने उक्त विरासतन कृषि भूमि का घरू तौर पर बंटवारा कर दिया है, मुताबिक घरू बंटवारा के चक नं. 2 एस.टी.पी. खाता सं. 163/49 में कुल 6.932 है. में से 2.530 है. वादी सं. 1 व 4.402 है. कृषि भमि वादीया सं. 2 को दे दी है। इसी कदर वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के हकदार एवं दावेदार है। प्रतिवादी सं. 2 प्रतिवादी सं. 1 का पुत्र है व प्रतिवादी सं. 3 व 4 प्रतिवादी सं. 1 की पुत्रियां है प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 अपनी मां से कोई विरासतन हक प्राप्त नही करना चाहते है, उन्होने अपने विरासतन हक हिस्सा का त्याग अपनी माता व पुत्र/भतीजे/भाभी को कर दिया है। वादीगण ने कई दफा प्रतिवादीगण से अनुनय विनय की कि मुताबिक घरू बंटवारा के चक नं. 2 एस.टी.पी. खाता सं. 163/49 में कुल 6.932 है. में से 2.530 है. वादी सं. 1 व 4.402 है. कृषि भूमि का वादीया सं. 2 को खातेदार काश्तकार मान लेवे व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में हमारे नाम से अमल दरामद करवा देवे किन्तु पहले तो टालमटोल करते रहे एवं अन्त में पिछले सप्ताह ऐसा करने से कत्तई इन्कार हो गये, बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1, 2 ता 4 ने जरिये अभिभाषक ईकबाल दावा पेश किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया, जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 5 जवाब स्टेट पेश हुआ जिसमें राज्यहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ की गई। वादपत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा पैतृक सम्पति के साक्ष्य के तौर पर जमाबन्दी चक नं. 2 एस.टी.पी. खाता सं. 163/49 जमाबन्दी सवंत 2070–73 जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022 से स्थाई व चक नं. 4 एच.आर. पी. खाता सं. 162/111 जं.सं. 2071–74 जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022 से स्थाई की प्रति पेश की। साक्ष्य वादी में वादी सुखमनजोत सिंह का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य [illegible] बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि [illegible] प्रतिवादी सं. 1 ता 4 संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादपत्र में वर्णित कृषि [illegible] विरासतन है। वकील वादीगण ने मुताबिक अनुतोष वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rake
Meena
Date: 2024.04.26 11:30
Reason: SelfAttested

स. [illegible] टर एवं
उपखण्ड [illegible] धिकारी
संगरिया

पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। वादपत्र में वर्णित आराजी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी चक नं. 2 एस.टी.पी. खाता सं. 163/49 जमाबन्दी सवंत 2070–73 जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022 से स्थाई प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज है। वाद में वर्णित आराजी विरासतन आराजी है। प्रति.सं. 1 ता 4 का सहमति का जवाब दावा पेश हुआ तथा इसके पश्चात वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का राजीनामा पेश हुआ है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त संबंधित अन्य कोई विवाद सामने नही आया है। वाद वादीगण राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक नं. 2 एस.टी.पी. खाता सं. 163/49 जमाबन्दी सवंत 2070–73 कुल खाता 6.932 है. में से वादी सं. 1 सुखमनजोत सिंह को 2.530 है. व वादीया सं. 2 छपीन्द्र कौर को 4.402 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का नाम उक्त खाता से कलमजन किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

आराजी बैक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.04.26 11:30:
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 78 / 2024

1. सुखमनजोत सिंह पुत्र तरसेम सिंह पुत्र सुखदेव कौर जाति जटसिख साकिन हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. छपीन्द्र कौर पत्नी तरसेम सिंह पुत्र सुखदेव कौर जाति जटसिख साकिन हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

——वादीगण

बनाम

1. सुखदेव कौर पत्नी जगसीर सिंह जाति जटसिख साकिन हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. तरसेम सिंह पुत्र जगसीर सिंह जाति जटसिख साकिन हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. परमजीत कौर पत्नी गमदूर सिंह पुत्र सुखदेव कौर जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. जसविन्द्र कौर पत्नी बोहड़सिंह पुत्री सुखदेव कौर जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

——प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए. **दिनांक :–** 04-04-24

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री ओमप्रकाश शर्मा वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व राजीनामा के आधार पर यह डिक्री दी जाती है कि वाद वादीगण डिक्री किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक नं. 2 एस.टी.पी. खाता सं. 163 / 49 जमाबन्दी सवंत 2070–73 कुल खाता 6.932 है. में से वादी सं. 1 सुखमनजोत सिंह को 2.530 है. व वादीया सं. 2 छपीन्द्र कौर को 4.402 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का नाम उक्त खाता से कलमजन किया जावे।

आराजी बैक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

निज...X...निल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत...X... खर्चा मुकदमें ... लगाया ...क ...X... को के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख ... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक ...-04-24 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:30:44 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official